

प्रेस विज्ञप्ति
बिहार पुलिस मुख्यालय
दिनांक-09.10.2023 (सं0-332)



मद्यनिषेध सम्बन्धी विशिष्ट उपलब्धियाँ

राज्य में मद्यनिषेध हेतु विभिन्न जिलों की पुलिस एवं बिहार पुलिस के मद्यनिषेध प्रभाग द्वारा निरन्तर अभियान चलाया जा रहा है।

1. जप्त किये गये बड़े वाहन

- वर्ष 2022 में जप्त ट्रक/कन्टेनर-364
- वर्ष 2023 (अगस्त तक) में जप्त ट्रक/कन्टेनर-319

2. मद्यनिषेध में दोषसिद्धि

क्र०सं०	वर्ष	काण्डों की संख्या	दोषसिद्धि अभियुक्तों की संख्या
1	2021	248	310
2	2022	368	459
3	2023 अगस्त तक	145	190
	कुल	1215	1522

3. वर्ष 2016 से अगस्त 2023 तक शराब के काण्डों में राज्य से बाहर के गिरफ्तार अभियुक्तों की राज्यवार संख्या

- बिहार राज्य के बाहर 11 अन्य राज्यों, नेपाल राष्ट्र तथा अन्य स्थानों से वर्ष 2021 में 2046 अभियुक्तों, वर्ष 2022 में 2611 अभियुक्तों तथा वर्ष 2023 के अगस्त माह तक 1353 अभियुक्तों की गिरफ्तारियाँ की गयी हैं।
- बिहार राज्य के बाहर 11 अन्य राज्यों, नेपाल राष्ट्र तथा अन्य स्थानों से वर्ष 2016 से वर्ष 2023 के अगस्त माह तक कुल 11272 अभियुक्तों की गिरफ्तारियाँ की गयी हैं।

4. राज्य के बाहर से बड़े शराब तस्करों की गिरफ्तारी

- वर्ष 2021 -34
- वर्ष 2022 -115
- वर्ष 2023 के माह अगस्त तक -63
- कुल- 212

5. वर्ष 2023 में माह अगस्त तक शराब तस्करी में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी का विवरण

क्र०	राज्य जहाँ से गिरफ्तारी हुई	गिरफ्तार अभियुक्तों की सं०
1	झारखण्ड	23
2	हरियाणा	19
3	उत्तर प्रदेश	07
4	पंजाब	05
5	पश्चिम बंगाल	03
6	राजस्थान	03
7	असम	02
8	दिल्ली	01
	कुल	63

6. Prevention of Money Laundering Act 2002 (PMLA) के अन्तर्गत कार्रवाई

- Prevention of Money Laundering Act 2002 (PMLA) के अन्तर्गत शराब के अवैध कारोबार से सम्पत्ति अर्जित करने वाले शराब के कारोबारियों की परिसम्पत्तियों को जप्त करने की कार्रवाई के अन्तर्गत शराबबन्दी के पूर्व 02 अभियुक्तों के विरुद्ध प्रस्ताव समर्पित किया गया था तथा उनकी लगभग 08 करोड़ की परिसम्पत्तियों को जप्त किया गया था।
- शराबबन्दी के उपरान्त 36 अभियुक्तों के विरुद्ध 33.924 करोड़ की परिसम्पत्तियों को जप्त करने हेतु 32 प्रस्ताव प्रवर्तन निदेशालय को समर्पित किया गया है।
- इस 32 प्रस्तावों में राज्य के बाहर के 06 अभियुक्तों 1. संजय यादव 2. मनोज यादव एवं 3. संदीप भदानी उर्फ संदीप राम, कोडरमा, झारखण्ड (तीनों की 0.23 करोड़ की परिसम्पत्ति), 4. रवीन्द्र कुमार, उर्फ बिन्दर, रेवाड़ी, हरियाणा (0.33 करोड़ की परिसम्पत्ति), 5. जितेन्द्र नागर उर्फ जीते, फरीदाबाद, हरियाणा (0.19 करोड़ की परिसम्पत्ति) तथा 6. विश्वजीत सरकार उर्फ वासु दा, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल (0.62 करोड़ की परिसम्पत्ति) के विरुद्ध हैं।

“अपील”

बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से सर्व साधारण से अपील की जा रही है कि यदि शराब बनाने, बिक्री किये जाने, तस्करी किये जाने अथवा उपयोग किये जाने सम्बन्धित कोई भी सूचना हो तो मद्यनिषेध इकाई के टॉल फ्री नम्बर—15545 अथवा 18003456268 पर सूचना अवश्य दें। सूचनादाता का नाम गोपनीय रखा जायेगा। सूचना देकर राज्य को नशा मुक्त बनाने में अपना बहुमूल्य सहयोग करें।

XXXXX